23-7-21 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी उप०। फिसल मूल अपील के
साथ दिनांक 13-8-21 को पेश है।

13-8-21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
फिसल मूल अपील के साथ दिनांक
16-8-21 को पेश हो।

16-8-21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
इस प्रकाश में मूल अपील का निर्णय
हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र का
कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। अतः
पत्रावली नम्बर के रूप में कर दाखिल
दफ्तर हो।